सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2024–2025

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2024–2025

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1–2
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2–3
3.	वर्ष 2024–25 की उपलब्धियां	4–6
4.	अभाव स्थिति	7
5.	मानसून की स्थिति	8–9
6.	अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति	10
7.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	10
8.	राज्य /राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति	11

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	12
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	13
3.	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति	14–15
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	16
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	17
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	18
7.	राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति	19–20
8.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	21
9.	अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	22
10.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	23

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत भाग है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.68 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 10.60 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91, 1994–95 एवं 2024–25 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2022–23 के समंकों के अनुसार प्रदेश में सकल बोये गये 281.71 लाख हैक्टेयर भूमि में से 125.83 लाख हैक्टेयर ही सकल सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 92.27 लाख हेक्टेयर(97.12 प्रतिशत) भूमि कुँओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुँओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुँओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में 01 अगस्त, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा परिशिष्ट–1, विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–2 तथा विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट–3 पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक) की उपलब्धियाँः–

- राज्य सरकार द्वारा लू–तापघात (Heat Wave) को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा (State Specific Disaster) के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा (State Specific Disaster) से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि में निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी।
- राज्य के समस्त जिलों में आकाशीय बिजली से घटित घटनाओं की रोकथाम के लिए 2130 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जाकर पोर्टेबल लाईटिंग डिवाइस/लाईटिंग ऐरिस्टर हेतु राशि रू. 63.90 करोड का बजट राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को दिनांक 11 जनवरी, 2024 को आवंटन किया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा M/S Earth Agencies, Lucknow को कार्यादेश जारी किया गया है। जिलों में चिन्हित स्थानों पर पोर्टेबल लाईटिंग डिवाइस/लाईटिंग ऐरिस्टर लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।
- मानसून सत्र 2024 में बाढ से प्रभावित जिलों में संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न विभागों की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु वर्ष 2024 में दिसम्बर, 2024 तक 18734 कार्यों हेतु राशि रू. 373.52 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई।

- प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं (बाढ, सूखा, पाला/शीतलहर, ओलावृष्टि आदि) से प्रभावित व्यक्तियों/किसानों को कृषि आदान–अनुदान एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर, 2024 तक राशि रू. 1595.02 करोड का बजट आवंटन किया गया है।
- राज्य में Chemical (Industrial) Disaster के संबंध में एक राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाईज का आयोजन गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार देश के शीर्ष 50 प्रमुख दुर्घटना जोखिम (MAH) वाले जिलो में राज्य के चार जिलों जयपुर, जोधपुर, अलवर में स्थापित उद्योगो एवं बाड़मेंर जिले में राजस्थान पैट्रो जोन पश्चिमी भारत में पैट्रो–केमिकल उद्योग को शामिल करते हुये एनडीएमए, नई दिल्ली, उद्योग विभाग, फैक्ट्री एवं बॉयलर्स विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेन्स व जिला प्रशासन जयपुर, अलवर, जोधपुर एवं बाड़मेर के सहयोग से दिनांक 08–10 अक्टूबर, 2024 को आयोजित की गई। Incident Response System (IRS) पर आधारित उक्त मॉक एक्सरसाईज राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा Incident Response Team (IRTs) के सहयोग से आयोजित किया गया।
- राज्य के समस्त जिलों में जिला त्वरित कार्यवाही (DQRT) में कुल 636 नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवकों को विभिन्न आपदा/विपदा/घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं में खोज एवं बचाव कार्य हेतु जिला स्तर पर कार्यरत नियंत्रण कक्ष में जिला त्वरित कार्यवाही दल (DQRT) के रूप में लगातार 24 घण्टे (Round the Clock) तैनात किये गये है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में नागरिक सुरक्षा जिलों के स्वयंसेवकों को कौशल विकास के लिए राज्य स्तरीय कोर्स संचालित कर 420 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर में प्रशिक्षण दिया गया।
- आपदा घटित होने पर त्वरित कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग करने हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (Emergency Response Support System-112) के विस्तार हेतु राज्य में 112 टोल फ्री नम्बर पर आपदा से संबंधित कॉल प्राप्त करने एवं तत्काल सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर में स्थापित किया गया।
- विभाग द्वारा कृषि आदान–अनुदान एवं अन्य समस्त राहत सहायता राशि का वितरण DBT के जरिये लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है।
- नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान जयपुर के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन हेतु ग्राम–दौलतपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर मे 10.39 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया।

अभाव स्थिति

1. रबी फसल सम्वत् 2080 (वर्ष 2023–24) में ओलावृष्टि से प्रभावित 04 जिलो यथा बांरा, हनुमानगढ़, नागौर, एवं डीडवाना–कुचामन के 104 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। उक्त जिलो में प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु दिशा निर्देश जारी कर राशि रूपये 2.16 करोड़ बजट आवंटन किया गया है।

अनुग्रह सहायताः–

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदओं से मानव/पशु क्षति, आवासीय क्षति व मानव/पशु घायल होने पर सहायता राशि एवं फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान–अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2023 को जारी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

मानसून 2024

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 25.06.2024 को प्रवेश किया। जल संसाधन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 1 जून 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक 662.44 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 58.7 प्रतिशत ज्यादा है। मानसून अवधि के दौरान 1 जून, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः—

क्र. सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, डीग, धौलपुर, डीडवाना—कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर—ग्रामीण, करौली, खैरथल—तिजारा, कोटपूतली—बहरोड, नागौर, सवाई—माधोपुर, टोंक, बलोतरा, बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर—ग्रामीण, फलौदी, बूंदी	26
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	बांसवाडा, बांरा, भीलवाडा, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ, झुंझुंनू, जोधपुर, केकडी, कोटा, नीम का थाना, पाली, राजसंमद, सांचौर, शाहपुरा, सीकर	16
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (—) 19 प्रतिशत तक)	चित्तौडगढ, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड, प्रतापगढ़, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर	08
4.	कम वर्षा (सामान्य से (—) 20 प्रतिशत से (—) 59 प्रतिशत)		0
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (—) 60 प्रतिशत व इससे कम)		0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2024 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 3972.223 Mcum की तुलना में 2962.243 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 95.29 प्रतिशत है।

राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 823.938 Mcum की तुलना में 559.169 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 74.57 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल पूर्ण भराव क्षमता 12900.817 Mcum की तुलना में वर्तमान भराव क्षमता 11244.298 Mcum पानी प्राप्त हुआ जो कि कुल क्षमता का 87.16 प्रतिशत है।

बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. बाढ़ से मानव/पशु क्षति, आवासीय क्षति व मानव/पशु घायल होने पर सहायता राशि तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति की मरम्मत हेतु राशि एवं फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान–अनुदान राशि एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध करवाई जाती है।
2. मानसून वर्ष 2024 में राज्य में बहने/डूबने के कारण 47 व्यक्तियों, आकाशीय बिजली के कारण 40 व्यक्तियों एवं मकान/दीवार गिरने के कारण 46 व्यक्तियों कुल 133 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनको राज्य आपदा मोचन निधि नोर्म्स अनुसार (4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) सहायता प्रदान की गई है।
3. मानसून वर्ष 2024 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायतीराज विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरीय विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागो की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु 18734 कार्यो के लिए राशि रू. 373.52 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई।

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलेक्टर को स्थायी निर्देश है कि अग्नि दुर्घटना में होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीडितों को एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार तत्काल सहायता उपलब्ध करवायी जावें। अग्नि पीडितों को सहायता हेतु जिला कलक्टर्स को वित्तीय वर्ष 2024–25 में 6.79 करोड़ रूपयें (दिसम्बर, 2024 तक) का बजट आवंटन किया गया है।

अग्नि पीडितो को सहायता राशि वर्ष 2021–22 में 795.34 लाख रूपये, वर्ष 2022–23 में 651.02 लाख रूपये एवं वर्ष 2023–24 में 403.35 लाख रू. व्यय किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)/राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)

बजट प्रावधान :–

राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान के रुप मे वर्ष 2011–12 से 2024–25 (दिसम्बर, 2024) की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
2016-17	868.50	289.50	1158.00
2017-18	912.00	304.00	1216.00
2018-19	957.75	319.25	1277.00
2019-20	1005.00	335.00	1340.00
2020-21	1481.00	494.00	1975.00
2021-22	1184.80	395.20	1580.00
2022-23	1244.80	414.40	1659.20
2023-24	1307.20	435.20	1742.40
2024–25 (दिसम्बर 24 तक)	686.00	228.40	914.40
योग	**12513.07**	**4170.27**	**16683.34**

वर्ष 2019–20 से 2023–2024 के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचन निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट –7 पर एवं वर्ष 2019–20 से 2024–25 (31 दिसम्बर 2024 तक) में इस कोष के अन्तर्गत अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–8 व परिशिष्ट–9 पर उपलब्ध है।

Administrative Setup

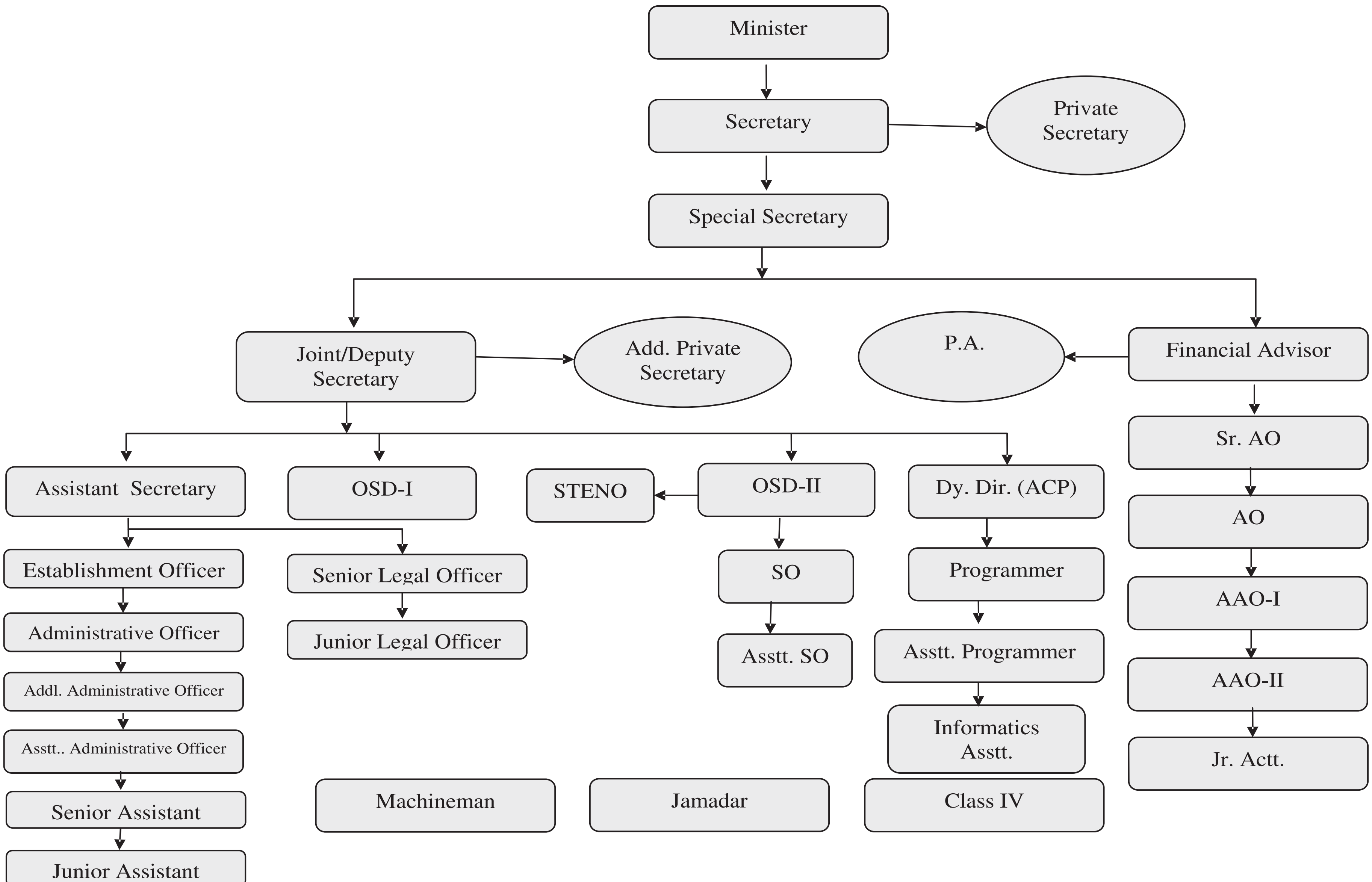

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव	श्री आनन्द कुमार	11.01.2024
2	विशिष्ठ शासन सचिव	रिक्त	—
3	संयुक्त शासन सचिव	श्री भगवत सिंह	28.02.2024
4	वित्तीय सलाहकार	श्री रामावतार शर्मा	20.11.2024
5	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	डॉ. प्रीति सिंह पंवार	11.09.2024
6	विशेषाधिकारी (2)	श्री बीरबल मीणा	16.11.2022
		श्री मक्खन लाल खटीक	16.10.2024
7	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	श्री रविन्द्र कुमार नामा	03.07.2024
8	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्रीमती ज्योति नागर	20.10.2022
9	लेखाधिकारी	रिक्त	—
10	संस्थापन अधिकारी	श्री घनश्याम मीना	22.12.2023
11	प्रोग्रामर	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय	03.08.2018
12	सांख्यिकी अधिकारी	रिक्त	—
13	सहायक विधि परामर्शी	श्रीमती शालिनी पाण्डेय	25.07.2022
14	अतिरिक्त निजी सचिव	रिक्त	—
15	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)	श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
		श्री सुभाष धामनिया	15.12.2022
16	प्रशासनिक अधिकारी(2)	श्रीमती मंजू पांचाल	22.12.2023
		श्री सुनील कुमार वर्मा	22.09.2024

परिशिष्ट–3

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पदो की संख्या	वर्तमान में कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	शासन सचिव	01	01	–
2	विशिष्ठ शासन सचिव	01	–	01
3	संयुक्त शासन सचिव	01	01	–
4	वित्तीय सलाहकार	01	01	–
5	सहायक शासन सचिव	01	01	–
6	निजी सचिव	01	01	–
7	विशेषाधिकारी	02	02	–
8	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	01	–
9	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	01	–
10	लेखाधिकारी	01	–	01
11	संस्थापन अधिकारी	01	01	–
12	प्रोग्रामर	01	01	–
13	सांख्यिकी अधिकारी	01	–	01
14	सहायक विधि परामर्शी	01	01	–
15	अति. निजी सचिव	01	–	01
16	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	02	02	–
17	प्रशासनिक अधिकारी	02	02	–
18	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	05	04	01
19	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	–
20	सहायक प्रोग्रामर	01	01	–
21	अति.प्रशासनिक अधिकारी	05	02	03
22	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	06	03	03
23	कनिष्ठ लेखाकार	04	–	04

24	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	—
25	सूचना सहायक	02	01	01
26	निजी सहायक	01	—	01
27	शीघ्र लिपिक	02	—	02
28	वरिष्ठ सहायक	06	06	—
29	कनिष्ठ सहायक	06	03	03
30	मशीनमैन	01	01	—
31	जमादार	03	03	—
32	सहायक कर्मचारी	09	05	04
	कुल	**73**	**47**	**26**

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग बजट मद से जिला मुख्यालय पर स्वीकृत पदों का विवरणः—

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II	27	23	04
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	04	04	—
3	वरिष्ठ सहायक	08	08	—
4	कनिष्ठ सहायक	21	17	04
	कुल	60	52	08

परिशिष्ट–4

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)
राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित नौ सदस्यों से मिलकर गठित होगाः–

1.	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
2.	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
3.	प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार
4.	प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
5.	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
6.	प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
7.	प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार
8.	प्रभारी मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार
9.	प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
5. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

परिशिष्ट–6

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

प्रत्येक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा

1.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
7.	अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पदेन (सहायता अनुभाग का भारसाधक)	

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगेः–

1. जिले से निर्वाचित सांसद (लोकसभा) सदस्य।
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट–7 (A)

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs. in Crore)

Funds	SDRF/ NDRF 2019-20	SDRF/ NDRF 2020-21	SDRF/ NDRF 2021-22	SDRF/ NDRF 2022-23	SDRF/ NDRF 2023-24	SDRF/ NDRF 2024-25 (Upto 31-12-2024)
1	2	3	4	5	6	7
(A) SDRF						
Opening Balance	670.76	2096.22	2584.44	2468.82	1381.21	3493.98
Central Share in SDRF	1100.77	1481.00	1184.80	1244.80	1307.20	686.00
State Share in SDRF	335.00	494.00	395.20	414.40	435.20	228.40
Received from Interest	42.12	143.67	181.07	153.20	261.73	-
Received from GOI	1164.99	853.25	-	13.46	-	-
Funds transferd by State Govt. in SDRF	-	-	-	-	-	-
Total Funds Available (A)	3313.64	5068.14	4345.51	4294.68	5185.34	4408.38
Expenditure (B)	1217.42	2109.81	1887.38	1113.47	1692.05	477.42
Adjustment of Disbursement Amount	-	21.11	10.69	-	0.69	-
Total Funds available Under SDRF& NDRF (Closing Balance)	2096.22	2979.44	2468.82	3181.21	3493.98	3930.96

***Allotment**

POSITION OF NDMF/SDMF

(B) SDMF	2022-23	2023-24	2024-25 (31-12-2024)
Opening Balance/T.E	395.00	816.99	1533.12
Central Share	296.20	474.60	334.90
State Share	98.80	158.00	111.50
Received From Interest	26.99	83.53	24.06
Received From NDMF	-	-	-
Total Funds Available Under SDMF	816.99	1533.12	2003.58
Expenditure	-	-	-
Closing Balance	816.99	1533.12	2003.58

Note- SDMF Start Year 2022-23

परिशिष्ट–8

वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2019–2020	वर्ष 2020–2021	वर्ष 2021–2022	वर्ष 2022–2023	वर्ष 2023–2024	वर्ष 2024–2025 (दिनांक **31-12-2024** तक आवंटित राशि)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुग्रह सहायता	-	-	-	-	-	-
2	पीने के पानी की आपूर्ति	742.47	937.08	416.47	4113.24	2063.82	120.22
3	चारा परिवहन	468.61	482.01	-	196.92	121.55	-
4	पशु पोषण केन्द्र	45.11	-	-	-	-	-
5	पशु शिविर/गौशाला	3545.75	719.21	977.34	5387.74	79.06	-
6	आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण	-		-	-	-	-
7	दवाओं की पूर्ति	-		-	-	-	-
8	अन्य विशेष राहत कार्य	-		-	-	-	-
9	अग्नि सहायता	567.00	314.53	795.34	651.02	403.35	679.43
10	सर्च एवं रेस्क्यू व सयंत्र	1452.05	16575.87	1902.89	58.14	6407.83	-
11	कीट पतंगा	-	15.29	-	-	-	-
11	कृषि आदान अनुदान	30794.68	18652.38	73054.04	43914.22	1854.08	78304.81
12	आपात परिचालन केन्द्र एवं आपदा प्रबन्धन योजना	-	72.21	458.38	467.36	453.68	628.38
13	प्रशिक्षण	24.69	157.31	283.33	196.93	41.68	33.35
14	अन्य सहायता	963.70	279.49	-8.35	-6.07	-	0.84
	योग	**38604.06**	**38205.38**	**77879.44**	**54979.50**	**11425.05**	**79767.04**

नोटः– उपरोक्त गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में जो राशि (–)ऋणात्मक दर्शाई गई है। उक्त राशि जिला कार्यालयों से पूर्व वर्षो की राशि जमा हुई है।

वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 मे अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष					
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25 (दिनांक **31-12-2024** तक आवंटित राशि)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आनुग्रहिक राहत कपड़ा बर्तन	177.50	1.92	7469.23	5253.26	123.18	3.61
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	-	4.78	-	-	-
3.	पशु चिकित्सा	-	-	-	-	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	3310.98	11416.20	5784.81	15523.59	3896.50	27201.04
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-	-	-	-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	319.69	341.95	334.43	158.28	341.74	640.00
7.	प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	12.80	1.33	73.12	4.47	4658.67
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	-	-	-	-	146.69	-
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	550.77	160	172.06	176.29	160.04	128.00
11.	घरों की मरम्मत	3397.53	245.02	2372.14	3254.03	583.81	272.31
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	3045.85	14719.82	4605.29	2397.68	15543.42	2240.42
13	बाढ से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	53261.41	29481.58	23935.97	29223.10	55122.66	20859.22
14	डिसिल्टिंग	-	-	-	-	-	-
15.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	(-) 3.19	22.62	32.26	26.74	101.64	16.79
16.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	129.49	739.19	785.18	1648.03	70.22	300.62
17.	अन्य सहायता (हेलिकाप्टर)	-	-	-	-	-	-
18.	अन्य सहायता अंगभंग गम्भीर चोट एवं आवश्यक वस्तुए	-	5.54	-	-	-	0.21
19	शीतलहर से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	350.64	728.69	-	-	82915.04	23385.18
20	कीट पंतगा आक्रमण से प्रभावितो को कृषि आदान अनुदान	12146.85	2259.75	90.03	-	-	-
21	महामारी (कोविड–19)	6510.67	112640.65	65271.72	-10.27	-1228.53	28.90
	योग	**83138.19**	**172775.73**	**110859.23**	**57723.85**	**157780.88**	**79734.97**

नोटः– उपरोक्त गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में जो राशि (–) ऋणात्मक दर्शाई गई है । उक्त राशि जिला कार्यालयों से पूर्व वर्षो की राशि जमा हुई है।

List of Nodal Departments

S.No.	Name of Nodal Department	Related Disaster
1.	Disaster Management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightning, Cyclones
2.	Energy	Disaster involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines & Petroleum	Mine Fire and Mine Flooding, Oil Spill
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack
13.	Animal Husbandry	Epidemic in Animal Population